

Title : Regarding need to protect the interest of indigenous small scale industries by supplying them coal at subsidised rates.

(x) Need to protect the interest of indigenous small scale industries

by supplying them coal at subsidised rates

**श्री हंसराज जी.अहीर (चन्द्रपुर)** :अध्यक्ष महोदय, देश के विकास तथा रोजगार सृजन में लघु उद्योगों की विशेष भूमिका रही है। अल्प निवेश कर देश के छोटे शहर तथा ग्रामों में लघु उद्योग फैले हैं। देश की प्राथमिकता के अनुसार उत्पाद तथा रोजगार उपलब्ध कराने वाले लघु उद्योगों के विकास तथा विपणन के लिए सरकार द्वारा बढ़ावा देना एवं संरक्षण देना अभिप्रेत था, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस नीति के अंतर्गत कइ निर्णय लिये गये, क्योंकि देश में करीब 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य लघु उद्योगों द्वारा हो रहा है। यह देखते हुए इस सरकार से भी लघु उद्योगों को यही अपेक्षा है, लेकिन पिछले कई दिनों से कोयला नीति में भारी परिवर्तन कर ई-आक्शन प्रणाली द्वारा कोयला निलामी करने से कोयला आधारित लघु उद्योग रूग्णता की तरफ बढ़ रहे हैं।

ई-आक्शन प्रणाली द्वारा कोल इंडिया को भले ही लाभ दिखायी दे रहा हो लेकिन लघु उद्योगों की कीमत पर फायदा बढ़ा नहीं हो सकता। कोयला मंत्रालय के उक्त निर्णय के कारण रूग्णता की ओर बढ़ रहे लघु उद्योगों के श्रमिकों पर भी इसका कुप्रभाव है, वे बेरोजगारी के संकट को झेलने पर मजबूर हो उठे हैं। कोयला मंत्रालय कोर व नॉन कोर सेक्टर के नाम से कोर सेक्टर (विद्युत, इस्पात, सीमेंट) उद्योगों को फ्लोर रेट पर कोयला उपलब्ध करा रहा है। नॉन कोर सेक्टर जिसमें लघु तथा मझौले उद्योग शामिल हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा से ई-आक्शन से महंगा कोयला खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। आज चीन जैसे राष्ट्रों द्वारा अपने लघु उद्योगों के बलबूते पर विश्व बाजार में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास देखते हुए तथा भूमंडलीकरण के कारण अपने लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में सुदृढ़ रखने के लिए भी उन्हें कोयला सस्ते दाम पर देना आवश्यक होगा। इसी नीति से ही लघु उद्योगों का संरक्षण होगा।